



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट सं. 23, पाटो, पणजी, गोवा-403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail : rd-go@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

सं.32-ए-49/32/01/2023

दिनांक 24.04.2025

परिपत्र/Circular

विषय : सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन के लिए प्रोत्साहन योजना।

Subject : Incentive scheme for Original Hindi Noting and Drafting in official works.

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई 'मूल हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना' क.रा.बी.निगम में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। "ग" क्षेत्र में टिप्पण एवं आलेखन में वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 10,000 (दस हजार) हिन्दी शब्द लिखने वाले अधिकारी/कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए पात्र हैं। योजना के अंतर्गत प्रत्येक निगम इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित 10 पुरस्कारों का प्रावधान है-

Incentive scheme for 'Original Hindi Noting and Drafting' in official works initiated by Government of India is also applicable in E.S.I. Corporation. This scheme is based on financial year. Officers/employees who write who write minimum 10,000 (ten thousand) Hindi words in region "C" during the financial year are eligible to apply under this scheme. There is a provision of following 10 prizes for the officers/employees of each corporation unit under the scheme -

क्र. सं. S. No.	पुरस्कार Prize	पुरस्कारों की संख्या Number of prizes	पुरस्कार राशि Prize amount (₹)
1.	प्रथम/First	02	5000/- प्रत्येक/each
2.	द्वितीय/Second	03	3000/- प्रत्येक/each
3.	तृतीय/Third	05	2000/- प्रत्येक/each

इस योजना के अंतर्गत प्रतिभागिता हेतु संलग्नक "क" में विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित है।

The record in the prescribed proforma as per annexure "A" is required to be maintained for participation under this scheme.

प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए समिति द्वारा 70% अंक हिन्दी कार्य की मात्रा के आधार पर तथा शेष 30% अंक विचारों की स्पष्टता, आवेदन के साथ संलग्न रिकॉर्ड के संरूप, संलग्न नमूनों व रिकॉर्ड में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण, टिप्पण की गुणवत्ता, कार्य की प्रकृति, वर्तनी, हिन्दी शब्दावली का प्रयोग, टिप्पण-आलेखन की विविधता आदि के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर दिए जाएंगे। अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेंगी।

For the evaluation of the applications, committee will award 70% marks on the basis of the quantity of Hindi work and remaining 30% marks will be awarded on the basis of comparative study of the clarity of thoughts, format of the record attached with the application, inspection of the samples attached and documents quoted in the record, quality of

noting, nature of work, grammar, use of Hindi vocabulary, variety in noting-drafting etc. Other terms and conditions will be as per instructions issued from time to time.

वर्ष **2024-25** के लिए इस प्रोत्साहन योजना में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने आवेदन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिकॉर्ड के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की राजभाषा शाखा को **16 मई, 2025** तक अवश्य भेज दें। आवेदन के साथ पांच टिप्पण व पांच आलेखन के नमूने संलग्न किए जाने अनिवार्य हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Officers/employees willing to participate in this incentive scheme for the year **2024-25** are requested to submit their application along with record countersigned by the controlling authority to the Official Language Branch by **16th May, 2025**. It is mandatory to attach five noting and five draft samples along with the application. The applications received after the last date will not be considered.

वर्ष 2025-26(अगले वर्ष) में भाग लेने के इच्छुक कर्मिकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप अपना रिकॉर्ड रखें।

The employees willing to participate in 2025-26(Next year) are requested to maintain their record as per above instructions.

इसे कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This is being issued with the approval of the Head of the office.

अनुलग्नक/Enclosure :

- मुख्यालय से जारी पत्र/letter issued by Hqrs.
- अनुलग्नक/Annexure : "क" / "A"

Digitally signed by
Hemant Kumar
(हेमन्त कुमार) 04-2025
उप निदेशक

प्रति/To

1. महानिदेशक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
Director General, Headquarters, ESIC, New Delhi for information please.
2. वैयक्तिक सहायक प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
Personal Assistant cell, Regional Office, ESIC, Goa.
3. सभी अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
All Officers and Office Superintendent, Regional Office, ESIC, Goa.
4. सभी शाखा प्रबंधक, अधीनस्थ शाखा कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
All Branch Manager, Subordinate Branch Offices, Regional Office, ESIC, Goa.
5. क्षेत्रीय कार्यालय एवं अधीनस्थ शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा के सभी कर्मिक।
All officials of Regional Office and Subordinate Branch Offices, ESIC, Goa.
6. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
Website Manager, Regional Office, ESIC, Goa to upload it on the website.

अनुलग्नक/Annexure : "क" / "A"

वर्ष के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले टिप्पण-आलेखन के रिकॉर्ड का प्रोफॉर्मा

Proforma of the record of the noting-drafting to be done by the officers/employees during the year

योजना अवधि/Scheme period : 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक

आवेदक का नाम/Name of the applicant :

पदनाम/Designation :

कर्मचारी संख्या/Employee number :

मातृभाषा/Mother tongue :

माह _____ के दौरान हिन्दी में किए गए कार्य का विवरण/

Details of work done in hindi during month _____

[illegible]



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
Employees' State Insurance Corporation
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Marg, N. Delhi-110002
वेबसाइट: www.esic.nic.in / www.esic.in
ईमेल: rajbhasha-bq@esic.nic.in

संख्या : ए-49032/1/2022-रा.भा.(ई-5396)

दिनांक : 11 अप्रैल, 2025

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली।
2. अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/ क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल।
4. संकायाध्यक्ष, क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान।
5. निदेशालय(चिकित्सा)दिल्ली/ निदेशालय(चिकित्सा)नोएडा।

विषय : निगम कार्यालयों में प्रचलित मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना ।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई मूल हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना निगम कार्यालयों में भी लागू है। यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित 10 पुरस्कार देने की व्यवस्था है:-

1. ₹ 5,000/- प्रत्येक की दर से 2 प्रथम पुरस्कार।
2. ₹ 3,000/- प्रत्येक की दर से 3 द्वितीय पुरस्कार।
3. ₹ 2,000/- प्रत्येक की दर से 5 तृतीय पुरस्कार।

पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इस प्रोत्साहन योजना में निगम कार्यालयों में भाग लेने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या नाममात्र होती है। प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के कारण योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः अनुरोध है कि उक्त प्रोत्साहन योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक कार्मिक योजना से परिचित हो सकें और हिंदी में काम करने के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु निम्न विहित प्रपत्र में रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित होता है। इसकी शेष शर्तें पूर्ववत् हैं।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पदनाम _____ *मातृभाषा _____ द्वारा
माह _____ के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण।

क्र. सं.	तिथि	हिंदी में किए गए कार्य की फ़ाइल एवं रजिस्टर संख्या	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कार्य विवरण	शब्दों की संख्या	नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
1	2	3	4	5	6	7

निवेदन है कि योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक एवं पात्र कार्मिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं और पुरस्कृत कार्मिकों की सूची मुख्यालय भिजवाएं।

भवदीय,

Digitally signed by

Shyam Kumar

Date: 11-04-2025

(~~संयुक्त~~ कुमारी)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

*राजभाषा नियमानुसार जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उडिया या असमिया हो उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा।